DEMAND OF CHIEF EXECUTIVE COUNCILLOR OF DELHI FOR ENDING DISPARITY IN INCOMES

*338. SHRI MAN SINGH VARMA : SHRI LAL K. ADVANI : SHRI SUNDAR SINGH BHANDARI : SHRI N. K. SHEJWALKAR :

Will the Minister of FINANCE/j वित्त मंत्री be pleasedt to state :

(a) whether the Chief Executive Coun cil~lor of Delhi hai ;cently demanded that with a view to curbing economic disparity no person should be allowed to spend more than Rs. 1500 per month and the balance of the income of those getting higher salary should be deposited with the various Savings Schemes of Government; and

(b) if so, what is the reaction of Government thereto and what are the details of the plan, if any, in this regard ?]

वित्त मंत्री (श्री य० ब० चव्हाण) : (क) सरकार ने समाचार-पत्रों में प्रकाशित वह समाचार देखा है जिसके अनुसार दिल्ली के मुख्य कार्यकारी पार्षद ने 25 मार्च 1971 को पत्रकारों को सम्बोधित करते हुए यह सुझाव दिया था ।

(ख) यद्यपि सरकार ने आर्थिक विषमता को समाप्त करने के उद्देश्य को स्वीकार किया है, पर किसी अनिवार्य बचत योजना को शुरू करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है । इसके बजाय सरकार ने इस उद्देश्य को 1971-72 के बजट में किये गये विभिन्न कर-प्रस्तावों के माध्यम से विशेषकर व्यक्तिगत आय और सम्पत्ति पर और अपेक्षाकृत कम अत्यावश्यक उपभोग्य वस्तुओं पर कर लगाकर पूरा करने का प्रयास किया है ।

t[THE MINISTER OF FINANCE/**वित्त मंत्री** (SHRI Y. B. CHAVAN;) : (a) The Govt, have seen the press reports of the suggestion made by the Chief Executive Councillor of Delhi while addressing the journalists on 25th March, 1971.

(b) While Government have accepted the objective of curbing economic disparity, no proposal for the introduction of a compulsory saving scheme is under consideration. Instead, Government have sought to achieve the objective through the various tax proposals made in the Budget for 1971-72, particularly in regard to taxation *on* personal incomes and wealth and the taxation on less essential items of consumption.]

f[ ] English translation.

DEVELOPMENT OF BEYPORE PORT

*339. SHRI B. V. ABDULLA KOYA : Will the Minister of PARLIAMENTARY AFFAIRS AND SHIPPING AND TRANSPORT/' संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्री be pleased to refer to the reply to Starred Question No. 372 given in the Rajya Sabha on the 11th March, 1970 and state :

(a) whether any fresh proposals have since been received from the State Go vernment of Kerala for the development of Beypore Port; and

(b) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND SHIPPING AND TRANSPORT;**संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्री** (SHRI RAJ BAHADUR) : (a) The Government of Kerala have recently informed the Government oflndia that the matter is still under their examination.

(b) Does not arise.

बैंकों के राष्ट्रीयकरण के संबंध में बैंक कर्मचारियों के विचार

*340. **श्री देवदत कुमार कोकाभाई पटेल :**
डा० भाई महावीर :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी संघ के सम्मेलन में स्वीकृत उस संकल्प की ओर दिलाया गया है जिसमें कहा गया है कि सरकार ने बैंकों के राष्ट्रीयकरण को सफल बनाने के लिए आवश्यक कदम नहीं उठाये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

OBSERVATIONS OF BANK EMPLOYEES REGARDING NATIONALISATION OF BANKS

*340. SHRI DEVDATT KUMAR KIKABHAI PATEL: DR. BHAI MAHAVIR :

Will the Minister of FINANCE/**वित्त मंत्री** be pleased to state :

(a) whether Government's attention has been drawn to the resolution adopted at the Conference of the All India Bank Employees Association in which it has been observed that Government have not taken the necessary steps to make the nationalisation of banks a success; and

(b) if so, what is the reaction of Government in this regard ?]

वित्त मंत्री (श्री य० ब० चव्हाण) : (क) और (ख) एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी संघ ने अप्रैल 1971 में हुए सम्मेलन में बैंकिंग उद्योग के सम्बन्ध में कुछ प्रस्ताव पास किये हैं। उन प्रस्तावों की प्रतिलिपियां उन्होंने सरकार को भेजी थीं। उन प्रस्तावों में जिन महत्वपूर्ण मामलों का जिक्र किया गया था उनमें से कुछ ये हैं: छोटे किसानों और उपेक्षित क्षेत्रों अन्य वर्गों को ऋण सुविधा देना, सट्टेबाजी एवं अनुत्पादक प्रयोजनों के लिए दिये जाने वाले ऋणों पर प्रतिबन्ध लगाना, राज्य के छोटे-छोटे बैंकों को एक राज्यीय बैंक में मिला देना, विदेशी बैंकों सहित शेष सभी बैंकों का राष्ट्रीयकरण, बैंक के नीतिनिर्माता निकायों में सभी स्तरों पर बैंक कर्मचारियों को प्रतिनिधित्व देना, भारतीय रिजर्व बैंक, स्टेट बैंक आफ इण्डिया आदि बैंकों के निदेशक बोर्डों का पुनर्गठन।

जब से बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया है हमने अपने सामने दो मूल उद्देश्य रखे हैं : बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना और अब तक उपेक्षित क्षेत्रों को ऋण देना। इस दिशा में पर्याप्त प्रगति हो चुकी है और सरकारी क्षेत्र के बैंकों की नीतियां इन उद्देश्यों को उपलब्ध करने के लिये फिर से निर्धारित की जा रही हैं। बड़े-बड़े ऋण खातों की छानबीन अधिक ध्यान से की जा रही है ताकि बैंक ऋण का इस्तेमाल सट्टेबाजी तथा अन्य अनुत्पादक प्रयोजनों के लिये न किया जाय। सरकारी क्षेत्र के बैंकों के अभिरक्षकों के साथ अप्रैल, 1971 के अन्तिम सप्ताह में हुई मेरी बैठक में बैंकों की नीतियों और कार्यक्रमों से सम्बद्ध अनेक महत्वपूर्ण मामलों पर विस्तारपूर्वक बातचीत की गयी थी और बैंक उन पर आवश्यक अनुवर्ती कार्यवाही कर रहे हैं।

ttTHE MINISTER OF FINANCE]**वित्त मंत्री** (SHRI Y. B. CHAVAN) : (a) and (b) A statement is laid on the Table of the House.

STATEMENT

In a Conference held in April, 1971, the All-India Bank Employees Association passed some resolutions pertaining to the banking industry. Copies of these resolutions were forwarded by them to the Government. Some of the important matters referred to therein were extension of credit to small farmers and other categories of neglected sectors, curbing the supply of credit for speculative and unproductive purposes, merger of small and one—State Banks, nationalisation of all remaining banks including foreign banks, giving representation to the employees on all policymaking bodies at all levels of banks of constitution ot the Boards of Directors of the Reserve Bank of India, State Bank of India, etc.

Since the nationalisation of the banks, we have placed before ourselves the two basic objectives of creation of large scale employment opportunities and extension of credit to hitherto neglected sectors. Considerable progress has already been made in this direction and the policies of the public sector banks are being re-oriented to achieve these objectives. Large borro-wal accounts are also being scrutinised more carefully with a view to put down the use of bank credit for speculative and unproductive uses. In my meeting with the Custodians of the public sector banks

t[ ] English translation.

hsld in the last week of April 1971, several important issues relating to the policies and programmes of the banks were discussed in depth and the bank are taking the necessary follow-up measures.]

केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों के कर्मचारियों की पेंशन

*341. **श्री सूरज प्रसाद** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों के कर्मचारियों को दी जाने वाली पेंशन आज भी पुराने ब्रिटिश नियमों के आधार पर निर्धारित की जाती है ; और

(ख) उसके क्या कारण हैं और इस संबंध में नये नियम कब तक बना दिये जायेंगे ?

PBNSIONS OF CENTRAL AND STATE GOVERNMENT EMPLOYEES

*341. SHRI SURAJ PRASAD : Will the M **वित्त मंत्री** FINANCE/ be pleased to state :

(a) whether it is a fact that pensions of Central and State Government employees are determined as per the old British rules even now; and

(b) what are the reasons therefor and the time by when new rules in this regard will be framed?]

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री : (**श्री के० आर० गणेश**) : (क) और (ख) राज्य सरकारों के कर्मचारियों की पेंशनें, संबंधित राज्य सरकारों के नियमों द्वारा शासित होती हैं और यह निर्णय करने का संबंधित राज्य सरकारों को अधिकार है कि पुराने नियमों को कहां तक पूर्ववत रखा जाय अथवा उनमें संशोधन किया जाय अथवा उनके स्थान पर नये नियम लाये जायें । केन्द्रीय सरकार के असैनिक कर्मचारियों के मामले में, पेंशन केवल सिविल सेवा विनियमों में निहित उपबंधों से ही नहीं, परन्तु समय-समय पर जारी किये गये विभिन्न कार्यालय ज्ञापनों में निहित आदेशों द्वारा भी विनियमित होती हैं । सिविल सेवा विनियमों में पेंशन के संबंध में निहित उपबंध सन् 1889 से लागू हैं, परन्तु, समय-समय पर उनका संशोधन होता रहा है और उक्त उपबंधों की यथावश्यक पूर्ति कार्यालय ज्ञापनों में निहित ऐसे उपबंधों के द्वारा होती रही है जिनसे पेंशन नियमों में सुधार और उदारता लाई गयी है और ऐसा विशेषत: प्रथम एवं द्वितीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर किया गया है । वर्तमान पेंशन नियमों में कई नई बातें हैं जैसे मृत्यु तथा निवृत्ति उपदान एवं परिवार पेंशन योजना, जो पुराने सिविल सेवा विनियमों में नहीं थीं । इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की पेंशन केवल स्वतंत्रतापूर्व बनाये गये नियमों से ही विनियमित होती रही हैं ।

t[THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE/ **वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री** (SHRI K. R. GANESH) : (a) and (b) Pensions of State Government employees are governed by the rules of the respective State Governments who are competent to decide how far the old rules should be retained, amended or replaced. In the case of Civil Servants of the Central Government, pensions are regulated not only by the provisions contained in the Civil Service Regulations but also those contained in various Office Memoranda issued from time to time. The provisions relating to pension in the CSRs which date back to 1889 have been amended from time to time and those provisions have been supplemented by the provisions contained in Office Memoranda improving and liberalising the pension rules, particularly on the basis of the recommendations of the First and Second Pay Commissions. The present pension rules contain several new features, *e.g.,* deaih-cMm-retirement gratuity and family pension scheme, which did not find a place in the old Civil Service Regulations. It cannot thus be said that the pensions of Central Government employees continue to be determined only by the rules made before Independence.]

t[ ] English translation.